रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 215] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 1975/श्रावण 8, 1897
No. 215] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 1975/SRAVANA 8, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July 1975

G.S.R. 433(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Kerala hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Thirteenth Amendment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule III appended to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, under the heading "A-Posts carrying pay above the time-scale pay in the Indian Administrative Service under the State Governments" against "Kerala", for the entries in second and third columns,

"First Member, Board of Revenue—Rs. 2750/-",

the following entries shall be substituted, namely:—

"First Member, Board of Revenue—Rs. 3000/-".

[No. 10/29/74-AIS(II)]

A. K. GUPTA, Under Secy.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1975

सा० का० नि० 433(अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार केरल सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) तेरहवां संशोधन नियम, 1975 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के साथ संलग्न अनुसूची-III में "क-राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा में समय वेतनमान से अधिक वेतनवाले पद" शीर्षक के अधीन "केरल" के सामने कालम दो तथा तीन में,

"प्रथम सदस्य, राजस्व बोर्ड —रु० 2750/—",

प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:—

"थम सदस्य, राजस्व बोर्ड—रु० 3000/—"

[सं० 10/29/74-अ० भा० से० (ii)]

ए० के० गुप्ता, उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975